DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

2 August, 2024

अनुसूचित जाति आरक्षण में उप-वर्गीकरण

संदर्भ: *1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के पक्ष में 6 - 1 से फैसला सुनाया, जिससे उनके कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ जायेगा।*

वर्तमान परीक्षा

- सर्वोच्च न्यायालय इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या उसे 2004 के ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जातियों को एक समरूप समूह माना गया था।

उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला

- 8 फरवरी, 2024 को न्यायालय ने उप-वर्गीकरण की आवश्यकता पर निर्णय सुरक्षित रखा था।
- 2004 के फैसले में कहा गया था कि केवल राष्ट्रपति ही अनुसूचित जाति समुदायों को आरक्षण लाभ के लिए अधिसूचित कर सकते हैं तथा राज्य इस सूची को संशोधित नहीं कर सकते।
- न्यायालय के निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि यह उप-वर्गीकरण समुदायों के साथ अलग-अलग व्यवहार करके समानता का उल्लंघन करेगा।

मामले की पृष्ठभूमि

- 1975 में पंजाब ने अपने अनुसूचित जाति आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें बाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को प्राथमिकता दी गई।
- 2004 में, सर्वोच्च न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया मामले में आंध्र प्रदेश के इसी प्रकार के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था।
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी 2010 में पंजाब के पुनः लागू किये गये उप-वर्गीकरण कानून को अमान्य कर दिया था।
- 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए अपील को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया गया था।

राष्ट्रपति सूची

- अनुसूचित जातियों और जनजातियों की केंद्रीय सूची राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित की जाती है।
- सूची में किसी भी परिवर्तन को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है; राज्य एकतरफा रूप से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।
- राष्ट्रपति द्वारा सूचीबद्ध जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
- एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में नामित जाति को दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
- यह परिवर्तन आरक्षण पर विवादों को रोकता है।
- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में कोई भी समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।

अनुच्छेद 342a

- राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बना सकते हैं।
- संसद कानून द्वारा केन्द्रीय सूची में sc वर्गों को जोड़ या हटा सकती है।
- एक बार निर्दिष्ट कर दिए जाने के बाद, राष्ट्रपति की सूची को आगे की अधिसूचनाओं द्वारा नहीं बदला जा सकता।
- 2018 का संशोधन राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की घोषणा करने की अनुमति देता है, जबकि संसद सूची में संशोधन कर सकती है। राज्य केवल सिफारिश कर सकते हैं, नए वर्गों की घोषणा नहीं कर सकते।
- यह संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जिससे यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोगों के समकक्ष हो जाएगा।

गैर इरादतन हत्या

संदर्भ *: हाल ही में एसयूवी चालक पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।*

अर्थ

- **उत्पत्ति** : "होमिसाइड" शब्द लैटिन भाषा से आया है, जहाँ होमो का अर्थ है "आदमी" और सीडा का अर्थ है "हत्या करना।" यह एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी की हत्या को संदर्भित करता है।
- **दोषी** : आपराधिक कृत्यों के लिए जिम्मेदारी दर्शाता है।
- **संयुक्त अर्थ:** "दोषपूर्ण हत्या" से तात्पर्य किसी व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना है और यह कानून द्वारा दंडनीय है।

धारा 105 BNS

- **परिभाषा** : भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 का स्थान लेती है।
- **मानदंड** : यह तब लागू होता है जब मृत्यु का कारण बनने वाला कार्य या तो मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया जाता है या इस अनुमान के साथ किया जाता है कि इस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।
- सजा: इरादे और ज्ञान की प्रकृति के आधार पर पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।
- **लापरवाही** : धारा 106 बीएनएस लापरवाही के कारण हुई मौतों को शामिल करती है, जिसमें अधिकतम पांच साल की सजा है, जो धारा 105 से कम कठोर है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **स्थितियाँ** :
  - मृत्यु करने का इरादा।
  - शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।
  - यह अनुमान कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।

➢ **ऐसे मामले जिनमें हत्या न होकर निर्दोष मानव हत्या शामिल है**

- **विशिष्ट परिदृश्य** : इसमें मानव निर्मित आपदाएं, लापरवाही या अधिकारियों की विफलता शामिल है, जहां उचित कार्रवाई से मौतों को टाला जा सकता है।
- **सामान्य उदाहरण:**
  - इमारत ढह गई
  - रेलवे दुर्घटनाएं
  - निर्माण स्थल दुर्घटनाएँ
  - शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं
- **आरोप का कारण:** इसका प्रयोग तब किया जाता है जब इरादे की कमी के बावजूद, अभियुक्त के कार्यों के कारण मृत्यु की संभावना की जानकारी हो।
- **हाल के उदाहरण:**
- **मुंबई होर्डिंग दुर्घटना:** 17 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल, धारा 105 बीएनएस के तहत आरोप दर्ज।
- **सूरत अग्निकांड (2019):** 22 छात्रों की मौत के परिणामस्वरूप प्रबंधक और भवन मालिकों के खिलाफ आरोप लगाए गए।

➢ **निर्णय विधि**

- **रामपाल सिंह बनाम यूपी राज्य (2012):** इस मामले में धारा 299 (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या) एक सामान्य श्रेणी है, जबकि धारा 300 (हत्या) एक विशिष्ट उदाहरण है। सभी हत्याएं गैर इरादतन हत्याएं हैं, लेकिन सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्याएं नहीं हैं।
- **रेग बनाम गोविंदा (1876):** हत्या के इरादे के बिना गंभीर चोट पहुंचाने के अभियुक्त के कृत्य को हत्या न मानकर सदोष मानव वध के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- **जल्लुद्दीन 1982:** एक ओझा (तांत्रिक) को अपने कार्यों के माध्यम से मौत का कारण बनने के लिए दोषी पाया गया, हालांकि ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं था।
- **कुसा माझी बनाम उड़ीसा राज्य, 1985:** क्रोध में आकर बेटे द्वारा अपनी मां पर प्रहार करने के कारण हुई मृत्यु को गैर इरादतन हत्या माना गया।

बादल फटना

संदर्भ: *हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में कई बार बादल फटने और रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद राज्य की नदियां उफान पर हैं।*

➢ **बादल फटने की परिभाषा और विशेषताएं**

- **अत्यधिक वर्षा:** बादल फटना एक अचानक, तीव्र वर्षा की घटना है, जो कभी-कभी ओलावृष्टि और गड़गड़ाहट के साथ होती है, जिससे बाढ़ आ सकती है।
- **पानी की मात्रा:** 25 मिमी तक वर्षा हो सकती है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर 25,000 मीट्रिक टन के बराबर है।
- **अवसर** : आमतौर पर यह घटना पर्वतीय उत्थान के कारण होती है या जब गर्म हवा ठंडी हवा के साथ मिलती है, जिससे तेजी से संघनन होता है।
- **शब्द की उत्पत्ति:** "बादल फटना" शब्द उस पुराने विचार से आया है जिसके अनुसार बादल पानी के गुब्बारों की तरह फट सकते हैं, हालांकि यह अब वैज्ञानिक रूप से सटीक परिभाषा नहीं है।

➢ **गुण**

- **वर्षा दर:** प्रति घंटे 100 मिमी (3.9 इंच) के बराबर या उससे अधिक वर्षा दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलग-अलग मानक मौजूद हैं, जैसे कि स्वीडिश मौसम सेवा "स्काईफॉल" को 1 मिमी (0.039 इंच) प्रति मिनट या 50 मिमी (2.0 इंच) प्रति घंटे के रूप में परिभाषित करती है।
- **बादलों की ऊंचाई:** संबद्ध संवहनीय बादलों की ऊंचाई 15 किमी (9.3 मील) तक हो सकती है।
- **तीव्रता** : कुछ ही मिनटों में 20 मिमी (0.79 इंच) से अधिक बारिश हो सकती है, जिससे अक्सर बाढ़ आ जाती है।

➢ **परिस्थिति**

- **तीव्र वर्षा:** लैंगमुइर(Langmuir) वर्षा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, जहां बड़ी बूंदें छोटी, धीमी गति से गिरने वाली बूंदों के साथ मिलकर तेजी से बनती हैं।
- **घटना** : यह केवल पहाड़ों के साथ संपर्क तक सीमित नहीं है, यह गर्म वाष्प के ठंडी हवा के साथ मिलने से अचानक संघनन के कारण भी हो सकती है।

➢ **पता लगाना और पूर्वानुमान लगाना**

- **उपग्रह की सीमाएं:** उपग्रह बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियों का पता लगाने के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन अक्सर अपने छोटे पैमाने और वर्षा रडार के रिज़ोल्यूशन के कारण बादल फटने की घटनाओं का पता नहीं लगा पाते हैं।
- **पूर्वानुमान चुनौतियां:** नमी, भूभाग, बादल सूक्ष्मभौतिकी और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने का सटीक पूर्वानुमान लगाने में कठिनाइयां होती है।

➢ **बादल फटने की आवृत्ति**

- **घटना** : बादल फटना अपेक्षाकृत आम बात है, विशेषकर मानसून के महीनों के दौरान।
- **भौगोलिक व्यापकता:** स्थलाकृति और तापमान प्रवणता जैसी अनुकूल स्थानीय परिस्थितियों के कारण हिमालयी राज्यों में यह घटना सबसे अधिक पाई जाती है।
- **स्थानीयकरण:** यह आमतौर पर बहुत छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, अक्सर वहां वर्षा माप उपकरणों का अभाव होता है।

➢ **बादल फटने के परिणाम**

- **भूभाग पर प्रभाव:** भारी वर्षा से भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ सकती है, जिससे निचले इलाकों में व्यापक क्षति हो सकती है।
- **प्रभाव क्षेत्र:** यद्यपि बादल फटने की घटनाएं छोटे क्षेत्रों में होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव व्यापक हो सकता है।

➢ **बादल फटने की घटनाओं का स्वरुप -**

- **दीर्घकालिक प्रकृति:** आईएमडी परिभाषाओं के अनुसार बादल फटने की घटनाओं में कोई स्पष्ट दीर्घकालिक वृद्धि नहीं है।
- **चरम मौसम:** भारत सहित विश्व भर में चरम वर्षा और अन्य चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- **वर्षा का स्वरूप:** यद्यपि कुल वर्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी यह अल्प अवधि में ही केंद्रित हो रही है, तथा बीच-बीच में लंबे समय तक सूखा भी पड़ रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन से जुड़े वर्षा पैटर्न में यह बदलाव, बादल फटने की घटनाओं में संभावित वृद्धि का संकेत देता है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

2 August, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

डिजी यात्रा

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने सूचित किया है कि देश के 15 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा लागू की गई है और यह सुविधा जल्द ही 12 अन्य हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी।

डिजी यात्रा के बारे में:

- डिजी यात्रा एक ऐसी तकनीक है, जो यात्रियों को हवाई अड्डों पर कागज़ रहित और संपर्क रहित तरीके से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करती है।
- यह बायोमेट्रिक सक्षम सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस (BEST) पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर चेक-इन और यात्रा को अधिक सुलभ बनाना है।
- यह प्रणाली एक विकेन्द्रीकृत मोबाइल वॉलेट-आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म भी प्रदान करती है जहाँ यात्री अपनी आईडी और यात्रा दस्तावेज़ संग्रहीत कर सकते हैं।
- o डिजी यात्रा ऐप का उपयोग करने के लिए, यात्रियों को आधार सहित व्यक्तिगत विवरण के साथ पंजीकरण करना होगा।

वट्टेझुथु

हाल ही में, पुरातत्वविदों को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में कोडुवई के पास कोविलपलायम में थलेकीश्वर मंदिर की दीवारों पर एक 'वट्टेझुथु' और आठ तमिल शिलालेख मिले हैं, जो 1,100 साल से ज़्यादा पुराने होने का अनुमान है।

वट्टेझुथु के बारे में:

- वट्टेझुथु, जिसका अर्थ है "गोल लिपि"। यह दक्षिण भारत और श्रीलंका में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन द्रविड़ लिपि है।
- यह शिलालेख में तमिल लेखन लिपि का एक रूप था जो 5वीं शताब्दी सामान्य युग (ई.पू.) से 12वीं शताब्दी ई.पू. तक प्रचलित था।
- वट्टेझुथु मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाया जाता था।
- इसका इस्तेमाल तमिल और मलयालम भाषाएँ लिखने के लिए किया जाता था।
- वट्टेझुथु तमिल-ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ और बाद में इसने आधुनिक तमिल और मलयालम लिपियों के विकास को प्रभावित किया।
- इसकी विशेषता इसके गोल अक्षर और सीधी रेखाओं की कमी है।
- इसे कोलेलुट्टू लिपि के रूप में विकसित किया गया, जिसका प्रयोग केरल में 19वीं शताब्दी तक ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा किया जाता था।

समान नागरिक संहिता

राजस्थान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर रहा है।

समान नागरिक संहिता के बारे में:

- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत के लिए एक कानून बनाने को संदर्भित करता है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा।
- भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है।
- संविधान बनाते समय डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन फिलहाल इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए और इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में अनुच्छेद 44 के रूप में जोड़ा गया।
- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की अवधारणा की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक भारत में हुई।
- 1835 में, ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भारतीय कानून में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया, विशेष रूप से अपराध, साक्ष्य और अनुबंध जैसे क्षेत्रों में।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है, विशेष रूप से शाह बानो (1985) और सरला मुदगल (1995) जैसे मामलों में।
- गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, जो उसके सभी निवासियों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों ने ईरानी राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयेह की हत्या के बाद व्यापक मध्य पूर्व संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का एक अंग है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- यह ऐसे निर्णय ले सकता है जिन्हें सदस्य देशों को लागू करना आवश्यक है, जैसे शांति स्थापना के लिए अभियान करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना।
- यूएनएससी के अलावा, संयुक्त राष्ट्र के पाँच अन्य प्रमुख अंग हैं, जिसमें महासभा (यूएनजीए), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय आते हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

	▪ यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं जिनमें पाँच स्थायी सदस्य (P5) और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। ▪ पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और उनके पास वीटो शक्ति है। ▪ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है।
सुर्खियों में स्थल **लेबनान**	*हाल ही में, बेरूत में भारतीय दूतावास ने देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की है कि वे क्षेत्रीय तनाव के कारण लेबनान की अनावश्यक यात्रा से बचें।* **लेबनान (राजधानी: बेरूत)** **स्थान:** लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। **सीमाएँ:** लेबनान की सीमाएँ सीरिया (उत्तर – पूर्व), भूमध्य सागर (पश्चिम) और इज़राइल (दक्षिण) से लगती हैं। **भौतिक विशेषताएँ:** ▪ लेबनान का सबसे ऊँचा स्थान कुर्नत अस सवदा है। ▪ लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। ▪ लेबनान की जलवायु भूमध्यसागरीय है। ▪ लेबनान के खनिज संसाधनों में चूना पत्थर, लौह अयस्क, जिप्सम, नमक, सिलिका और बेसाल्ट शामिल हैं। ▪ माउंट लेबनान और एंटी-लेबनान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसी बेका घाटी, देश की एक महत्वपूर्ण घाटी है। **सदस्यता:** लेबनान संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग, विश्व व्यापार संगठन और इस्लामिक सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? – **ओम प्रकाश माथुर**
- लेफ्टिनेंट-जनरल साधना सक्सेना नायर भारतीय सेना में कौन सा पद संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं? – **महानिदेशक, चिकित्सा सेवा (सेना)**
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 119 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? – **39वीं**
- दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके चूहों में विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? – **नैनो-मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफ़ेस फॉर न्यूरो डायनेमिक्स (नैनो-माइंड)**
- असम सरकार द्वारा आयोजित आगामी भव्य प्रदर्शन में 8,000 चाय जनजाति कलाकार किस नृत्य शैली में प्रस्तुति देंगे? – **झुमुर (यह कार्यक्रम 20 नवंबर, 2024 को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा)**